प्रेस विज्ञप्ति
14/3/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने दिनांकः 12.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुष्पेंद्र सिंह और 9 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर ने 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने पुष्पेंद्र सिंह और अन्य के विरुद्ध आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक और मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी तरीके से कई वाहन ऋण लेने और वाहनों की डिलीवरी न करने में शामिल थे। इस प्रकार प्राप्त ऋण राशि का प्रयोग उसने विभिन्न माध्यमों से जैसे कि उसके अन्य व्यवसायों में, उसके परिवार के सदस्यों के खातों में भेज कर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और दूसरों को दिए गए बकाया को चुकाने के लिए किया। अंततः उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डमी उधारकर्ताओं के नाम पर ली गई ऋण राशि को निकाल लिया, जिससे केनरा बैंक, जबलपुर को 14.96 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपियों द्वारा अब तक अपराध से अर्जित की गई राशि रुपये 18.94 करोड़ है।

इससे पहले, ईडी ने आरोपी पुष्पेंद्र सिंह और अन्य से जुड़े 5.32 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की थी और इस मामले में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था, जिसके कारण 16 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को दिनांकः 13.01.2024 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।